कांग्रेस ने जारी किया घोषणा पत्र : 3200 रूपए प्रति क्विंटल मिलेगी धान की कीमत, प्रति एकड़ 20 क्विंटल खरीदने का वादा

रायपुर (आरएनएस)। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। रविवार को राजनांदगांव से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने घोषणा पत्र जारी करते हुए भाजपा के नहले पर अपना दहला फेंक दिया है। दरअसल भाजपा ने एक दिन पहले अपने घोषणापत्र में धान का समर्थन मूल्य 31 सौ रुपए देने की घोषणा की थी। अब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने 32 सौ रुपए में प्रति क्विंटल धान खरीदने का वादा किया है। इसके अलावा प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान खरीदने का वादा किया है।

घोषणापत्र जारी करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कांग्रेस की घोषणाओं पर जनता भरोसा करती है। भारतीय जनता पार्टी की अपेक्षा कांग्रेस पार्टी की घोषणाएं जनता के हित में हैं। भाजपा के शासनकाल में आम जनता काफी त्रस्त है। महंगाई के कारण महिलाओं के किचन का बजट पूरी तरह से बिगड़ गया है। कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ में गैस सिलेण्डर पर 500 रुपए की सब्सिडी देगी। यानी छत्तीसगढ़ में 475 रुपए में सिलेंडर मिलेगा। यही नहीं 200 यूनिट तक बिजली फ्री दी जाएगी और साथ की हाफ बिजली बिल योजना भी लागू रहेगा।

सभी को मिलेगी गैस सब्सिडी

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि गैस सिलेंडर पर सब्सिडी सभी को मिलेगी। भाजपा ने केवल उज्ज्वला योजना वाले सिलेंडरों को सब्सिडी में शामिल किया लेकिन कांग्रेस पार्टी सभी को सब्सिडी देगी। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि भाजपा ने अपी घोषणाओं में फ्री बिजली की गारंटी नहीं दी। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि भाजपा ने मोदी की गारंटी के नाम से घोषणापत्र जारी किया लेकिन दुर्ग की सभा में मोदी जी ने एक बार भी 31 सौ रुपए में धान खरीदी की बात नहीं की। यह पूरा पुलिंदा पूर्व सीएम डॉ रमन सिंह का है।

सभी जिलों से जारी हुआ घोषणा पत्र:--

कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र सभी जिलों से जारी किया गया। राजधानी रायपुर से छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी किया। इसी प्रकार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजनांदगाव से तो पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज बस्तर से घोषणा पत्र जारी किया। उप मुख्यमंत्री सिंहदेव ने सरगुजा से, वरिष्ठ नेता डॉ. चरण दास महंत ने बिलासपुर और गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू ने दुर्ग तथा घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष मो अकबर ने कवर्धा से घोषणा पत्र जारी किया।

कांग्रेस की यह है घोषणाएं

- प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान की खरीदी।
- 32 सौ रुपए में होगी प्रति क्विंटल धान खरीदी।
- सिलेंडर पर 500 की सब्सिडी, घर की महिला के बैंक खाते में दी जाएगी।
- 200 यूनिट तक बिजली फ्री अधिक खपत पर 200 यूनिट प्रति माह तक फ्री बिजली।
- महिला स्व सहायता समूहों और सक्षम योजना के तहत लिए गए ऋण माफ।
- आगामी सालों में 700 नवीन ग्रामीण औद्योगिक पार्कों की स्थापना।
- राज्य के सभी सरकारी स्कूलों को स्वामी ने आत्मानंद इंग्लिश और हिंदी मीडियम स्कूलों को अपग्रेड करेंगे।
- छत्तीसगढ़ के निवासियों को सडक़ दुर्घटना और अन्य आकस्मिक दुर्घटनाओं में मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत फ्री इलाज।
- परिवहन व्यवसाय से जुड़े 6600 से ज्यादा वाहन मालिकों के वर्ष 2018 तक के 726 करोड़ राशि के बकाया मोटरयान कर शास्ती और ब्याज के कर्ज माफ।
- राज्य के किसानों से तीवरा को भी समर्थन मूल्य पर खरीदा जाएगा।
- हर साल लघु वनोपज की एमएसपी पर मिलेंगे अतिरिक्त 10 रुपए।
- पिछली बार की तरह इस बार भी किसानों का कर्ज माफ।
- प्रदेश के 17 लाख परिवारों को मिलेगा आवास।
- प्रदेश में जाति जनगणना कराएंगे।
- सरकारी स्कूलों केजी से लेकर पीजी तक फ्री शिक्षा।
- तेंदूपत्ता संग्राहकों को हर साल मिलेगा 6000 रूपए बोनस।
- डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत गरीब वर्ग को 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख तक मुफ्त इलाज की सुविधा।
- भूमिहीन मजदूरों को मिलने वाली 7000 की राशि बढ़ाकर 10 हजार तक की जाएगी।

महत्वपूर्ण एवं खास

सामान्य प्रेक्षक तापस राय ने गायदरहा, परसकोल, अचानकपाली और कुधरी मतदान केन्द्र का किया निरीक्षण

सारंगढ़ बिलाईगढ़। सारंगढ़ विधानसभा के सामान्य प्रेक्षक तापस राय ने बिलासपुर रोड के मतदान केन्द्र गायदरहा, परसकोल, अचानकपाली, कुधरी का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान राय ने सहायक रिटर्निंग अधिकारी रूपाली मेश्राम को आदर्श आचरण संहिता के पालन के लिए आवश्यक निर्देश दिए।

जनरल आब्जर्वर पवन कुमार ने बिलाईगढ़ विधानसभा के मतदान केन्द्रों का किया निरीक्षण

सारंगढ़ बिलाईगढ़। बिलाईगढ़ विधानसभा के सामान्य प्रेक्षक पवन कुमार ने बिलाईगढ़ विधानसभा अंतर्गत आने वाले मतदान केन्द्र सोनाखान सहित 21 मतदान केन्द्र का निरीक्षण किया, जो कसडोल क्षेत्र में स्थित हैं। जनरल आब्जर्वर पवन कुमार ने बिलाईगढ़ के बेलटिकरी, पीपरडुला, चुरेला आदि मतदान केन्द्रों का भी निरीक्षण किया और रिटर्निंग अधिकारी को आवश्यक निर्देश दिए।

सभी प्रत्याशी के व्यय लेखा का प्रथम जांच होगा 6 नवंबर को

सारंगढ़ बिलाईगढ़। विधानसभा निर्वाचन 2023 अंतर्गत विधानसभा सारंगढ़-17 और बिलाईगढ़-43 के सभी अभ्यर्थियों के व्यय लेखा का मिलान और प्रेक्षक के समक्ष प्रथम जांच 06 नवंबर 2023 को कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत सारंगढ़ में प्रातः 10 बजे से शाम 5 बजे तक किया जाएगा। उप जिला निर्वाचन अधिकारी जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़ ने पत्र जारी कर कहा है कि सभी प्रत्याशी निर्धारित तिथि 06 नवंबर 2023 को प्रथम जांच, 10 नवंबर 2023 को द्वितीय जांच और 15 नवंबर 2023 को तृतीय जांच के लिए सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक अपने समस्त दस्तावेजों के साथ उपस्थिति देना सुनिश्चित करें।

मतदान दलों को दी जाने वाली सामग्री एवं प्रपत्रों के सम्बन्ध में दिया गया प्रशिक्षण

कोरबा (आरएनएस)। विधानसभा निर्वाचन 2023 के लिए रविवार को कलेक्टोरेट के सभागार में मतदान दलों को मतदान सामग्री, किट वितरण एवं प्रपत्र वितरण के सम्बन्ध में जिले के मास्टर ट्रेनर डॉ. बी. एस.राव एवं जय देवांगन ने प्रशिक्षण दिया. प्रशिक्षण नगर निगम कमिश्नर प्रतिष्ठा ममगई एवं डिप्टी कलेक्टर विकास चौधरी की उपस्थिति में दिया गया. मास्टर ट्रेनर ने कहा कि मतदान दलों को दी जाने वाली किट एवं प्रपत्रों को तैयार करने में विशेष सावधानी बरती जाए. उन्होंने कहा कि पीठासीन अधिकारी को दी जाने वाली किट में स्टाम्प, माचिस, नीला लाल बालपेन, कैंची, कोरा कागज, मुहर लगाने के लिए मोमबत्तियां, ग़म, ब्लेड, सुतली धागा, धातु का स्केल, कार्बन पेपर, कपड़ा, पेकिंग शीट, पिन, टेप, अमिट स्याही के लिए कप आदि सभी आवश्यक सामग्री सूची से मिलान करके रखी जाये. इसके साथ ही मतदान दल के सदस्यों को दिये जाने वाले निर्धारित प्रपत्र - मास्टर लिफाफे, सफेद, पीले, नीले रंग लिफाफे आदि प्रपत्र पूर्व में उपलब्ध करायी गयी सूची से मिलान करके दिये जाये. देवांगन ने बताया कि पीठासीन अधिकारी के लिए दी जाने वाली सामग्री की अलग से चेक लिस्ट दी जायेगी उससे मिलान करके पीठासीन पदाधिकारी के लिए सभी आवश्यक सामग्री प्रदाय की जाये।

''लोक नृत्य के रंग-मतदान संकल्प के संग'' थीम पर मनाया गया मतदाता जागरूकता

❒ करमा, सुआ, सरगुजिया, राउत नाचा, पंथी, कत्थक, गौरी गौरा नृत्य की हुई प्रस्तुति

सारंगढ़ बिलाईगढ़। जिला निर्वाचन अधिकारी व कलेक्टर डॉ. फरिहा आलम सिद्दीकी के निर्देशन में बरमकेला में विकासखंड स्तरीय स्वीप के तहत मतदाता जागरूकता ''लोक नृत्य के रंग'' ''मतदान संकल्प के संग'' थीम पर कार्यक्रम का सफल आयोजन इंद्रप्रस्थ स्टेडियम में किया गया। इस कार्यक्रम का सफल आयोजन छत्तीसगढ़ के नक्शा, भीम, रंगोली उकेर कर किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर डॉ. फरिहा आलम सिद्दीकी एवं विशिष्ट अतिथि रिटर्निंग ऑफिसर एसडीएम मोनिका वर्मा व जिला नोडल अधिकारी हरिशंकर चौहान उपस्थित थे।

कलेक्टर डॉ. सिद्दीकी ने कार्यक्रम की शुरूआत में प्रतिभागियों से मुलाकात की और प्रोत्साहित किया। कार्यक्रम में उपस्थित स्कूलों के सभी छात्र-छात्राओं, बिहान समूह के सदस्य, व सभी उपस्थित नागरिकों को मतदान देने के लिए शपथ दिलाया गया। बरमकेला सहित अंचल के नागरिकों ने इस कार्यक्रम में बढ़-चढ़कर भाग लिया। स्वीप मतदाता जागरूकता में अपने सहभागिता निभाकर सफल बनाने में सहयोग दिया। इस कार्यक्रम में करमा नृत्य, सुआ नृत्य, सरगुजिया नृत्य, राउत नाचा, पंथी नृत्य, कथक नृत्य, गौरी गौरा नृत्य प्रस्तुत किया गया एवं कैंडल मार्च निकाला गया। कार्यक्रम के शानदार प्रस्तुति से मतदान के महत्व को बताया गया।

कलेक्टर ने कहा कि बरमकेला के द्वारा जो इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए कई दिनों से लगे हुए थे उस पूरी टीम को में बधाई देता हूं। उन्होंने कहा कि बहुत ही अच्छा मतदाता जागरूकता कार्यक्रम बहुत ही अच्छे प्रस्तुति के साथ, लोक कला एवं नृत्य के माध्यम से मतदाताओं के मानस पटल पर अंकित करने का प्रयास किया गया है। मतदान बहुत जरूरी है और 17 नवंबर 2023 को अपने मतदान का अवश्य प्रयोग करें। बहुत सारे मतदाता पहली बार बोट देंगे मतदान करने के लिए मतदान केंद्र पर अवश्य जाएं अपने मताधिकार का प्रयोग कर लोकतंत्र को मजबूत बनाएं। अपने घरों में अपने आसपास अपने गांव के अपने शहरों के सभी नागरिकों को प्रोत्साहित करें कि मतदान 17 नवम्बर के दिन अपने मतदान केंद्र मतदान केन्द्र अवश्य जाएं और अपना मताधिकार का प्रयोग करें। इस अवसर पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी बरमकेला प्रज्ञा यादव, बीईओ नरेश चौहान, आत्मानंद स्कूल के छात्र-छात्राएं कन्या शाला एवं शिक्षक शिक्षिकाएं और बड़ी संख्या में नागरिकगण उपस्थित थे।

रोड किनारे खड़े ट्रक पर टकराने से वाहन चालक की मौत

रायपुर (आरएनएस)। आउटर में रोड किनारे खडे ट्रकों और भारी वाहनों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती. यही वजह है कि रात में भी सडक़ किनारे भारी वाहन बिना संकेत के खड़े रहते हैं. इसी के चलते टाटीबंध इलाके में वाहन चालक की मौत हो गई. बिना संकेतक के रोड किनारे खड़े ट्रक से वाहन चालक टकरा गया.

इससे उसकी मौत हो गई. पुलिस ने ट्रक चालक के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया है.

पुलिस के मुताबिक हुकुम पाल अपनी गाड़ी सीजी 04 पीएच 1625 से बिलासपुर-रायपुर बायपास रोड से आ रहे थे. इस दौरान टाटीबंध के पास वीरा दा ढाबा के सामने रोड किनारे ट्रक सीजी 08 एए 9399 से टकरा गए. इससे हुकुम पाल की मौत हो गई. दरअसल वहां अंधेरा था और ट्रक चालक कोई संकेतक भी नहीं दे रहा था. इसके चलते हुकुम की गाड़ी ट्रक के पिछले हिस्से जा घुसी. इससे उसे गंभीर चोट आई और उसकी मौत हो गई. पुलिस ने ट्रक चालक के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया है.

कई घटनाएं हो चुकी हैं

सडक़ किनारे खड़ी ट्रक से टकराने से मौत की कई घटनाएं हो चुकी हैं. इससे पहले भी टाटीबंध रिंग रोड में दो युवकों की मौत हो गई थी. रिंग रोड नंबर-3 और 2 में कई घटनाएं हो चुकी हैं.

चेकिंग के दौरान पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 15 लाख कैश और 1 किलो चांदी जब्त

बिलासपुर (आरएनएस)। प्रदेश में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सभी थाना क्षेत्र में चेक पोस्ट और फ्लाइंग स्क्वाड के माध्यम से राज्य व जिले से बाहर आने जाने वाली वाहनों की सतत निगरानी रखी जा रही है. जगह-जगह चेक पोस्ट लगाकर भी वाहनों की तलाशी ली जा रही है. इसी कड़ी में बिलासपुर जिले के अलग-अलग थाना क्षेत्रों में जिला निर्वाचन की एसएसटी, एफएसटी, पुलिस और आरपीएफ की टीमों ने चेकिंग के दौरान 15 लाख रुपए नकदी और 1 किलो चांदी पकड़ा है.

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, सकरी थाना अंतर्गत एसएसटी और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में एक व्यक्ति से 6,00,000 रुपए नगद बिना वैध दस्तावेज के परिवहन करते पकड़ा गया है. वहीं मस्तूरी थाना अंतर्गत एसएसटी और पुलिस की टीम ने एक व्यक्ति से 69,000 रुपए नगद बरामद किया गया है.

इसी तरह तोरवा थाना अंतर्गत एफएसटी, पुलिस और आरपीएफ की टीमों ने एक व्यक्ति से बिना वैध दस्तावेज के 3,42,000 रुपए कैश जब्त किया है. वहीं तोरवा थाना अंतर्गत ही एफएसटी, पुलिस और आरपीएफ की टीम ने एक व्यक्ति से 3,01,000 रुपए नगद और एक अन्य व्यक्ति से बिना वैध दस्तावेज के 1,50,000 रुपए कैश और लगभग 1 किग्रा. चांदी परिवहन करते बरामद किया है.

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा एग्जिट पोल का आयोजन करना और परिणाम का मीडिया में प्रकाशन, प्रचार-प्रसार करना प्रतिबंधित

❒ छत्तीसगढ़ में एग्जिट पोल 07 नवम्बर से 30 नवम्बर 2023 तक प्रतिबंधित

सारंगढ़ बिलाईगढ़। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा निर्वाचन 2023 अंतर्गत 07 नवम्बर 2023 को पूर्वान्ह 7 बजे से लेकर 30 नवम्बर 2023 अपरान्ह 6.30 बजे तक किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल का आयोजन करने तथा प्रिंट व इलेक्ट्रानिक मीडिया द्वारा इसके परिणाम के प्रकाशन, प्रचार व किसी भी अन्य तरीके से उसका प्रचार-प्रसार करने पर प्रतिबंध किया गया है। भारत निर्वाचन आयोग ने अधिसूचना प्रकाशित की है, जिसमें लो.प्र. अधिनियम 1951 की धारा 126क में निर्देश दिया है कि कोई भी व्यक्ति कोई निर्गम मत (एग्जिट पोल) सर्वेक्षण नहीं करेगा और राज्य के किसी मतदान क्षेत्रों में मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय पर समाप्त होने वाले 48 घण्टों के दौरान किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में किसी भी ओपिनियन पोल व किसी अन्य मतदान सर्वेक्षण के परिणामों सहित किसी भी प्रकार के निर्वाचन संबंधी मामले के प्रदर्शन पर प्रतिबंध रहेगा।

उल्लेखनीय है कि भारत निर्वाचन आयोग के पत्र क्रमांक 491, 25 अक्टूबर 2013 में उल्लेख किया गया है कि निर्वाचन प्रचार से संबंधित विधिक उपबंध सोशल मीडिया पर उसी तरह लागू होते हैं जैसे वे किसी अन्य मीडिया का इस्तेमाल करके किए जाने वाले निर्वाचन प्रचार के किसी अन्य रूप पर लागू होते हैं। इसलिए सोशल मीडिया में भी एग्जिट पोल का आयोजन और परिणाम का प्रकाशन, प्रचार-प्रसार प्रतिबंध है।

मामूली कहासुनी पर स्कूटी सवार युवक को कार से मारी ठोकर फिर स्कूटी की चाबी से सिर और गले पर किया वार

❒ चक्रधरनगर पुलिस ने आरोपी युवक को हत्या के प्रयास में गिरफ्तार कर भेजा रिमांड पर

रायगढ़। बीते 3 नवंबर को थाना चक्रधरनगर में चंद्रनगर कॉलोनी में रहने वाला राजेश अग्रवाल उर्फ मुन्ना (उम्र 23 साल) द्वारा उसके परिचित मुनसाद खान द्वारा स्कूटी पर दुकान जाते वक्त उसकी स्कूटी को अपने कार से ठोंकर मारना और झगड़ा विवाद कर स्कूटी की चाबी से उसके सिर और गले पर बेतहाशा वारकर चोट पहुंचाने की रिपोर्ट दर्ज कराया। आहत राजेश अग्रवाल की रिपोर्ट पर चक्रधरनगर पुलिस द्वारा हत्या का प्रयास का अपराध दर्ज कर आज आरोपी मुनसाद खान (20 साल) को गिरफ्तार का न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।

आहत राजेश अग्रवाल उर्फ मुन्ना पिता सुरेश अग्रवाल निवासी चन्द्रनगर कालोनी थाना चक्रधरनगर ने बताया कि दिनांक 03.11.2023 के सुबह करीब 10:30 बजे अपने घर का राशन लाने अपने बहन की स्कूटी पर जा रहा था। मरीन ड्राईव केलो नदी के नीचे सुलभ शौचालय के पास उसे पंजरी प्लांट का मुनसाद खान अपने कार से आते हुये मिला जो उसे साथ चलने बोला राजेश घर का राशन लाने जा रहा हूं मना किया तो मुनसाद नाराज होकर गाली गलौच करने लगा और राजेश को जाते समय सउकी स्कूटी को पीछे से कार से ठोकर मार दिया। राजेश उठकर मुनसाद खान को मेरी बहन की स्कूटी को तोड़फोड़ कर दिया बनावो कहने पर मुनसाद स्कूटी के चाबी को छीनकर राजेश के गर्दन, सिर में लगातार वार किया। लोहे की चाबी के कई वार से राजेश बेहोश होकर गिर पडा। आहत के रिपोर्ट पर आरोपी मुनसाद के विरूद्ध हत्या का प्रयास का मामला दर्ज कर आज थाना प्रभारी चक्रधरनगर निरीक्षक प्रशांत राव आहेर के नेतृत्व में उपनिरीक्षक जी.एल. साहू एवं हमराह स्टाफ द्वारा दबिश देकर आरोपी मुनसाद खान पिता शब्बीर खान उम्र 20 साल निवासी पंजरीप्लांट थाना चक्रधर नगर जिला रायगढ़ को हिरासत में लिया गया। आरोपी से पूछताछ कर घटना में प्रयुक्त चाबी एवं कर की जपती कर आरोपी को गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया है।

SJU - Contact No. +91 9301915303
E-mail ID- sjunion29@gmail.com
Social Justice Union
Registered with Govt. No. 5526
Join SJU
अधिकार से न्याय तक

आवश्यकता
इस संघ का गठनसम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए किया गया है, जिसे छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त है, जिसका क्रमांक 5526 है, तथा सम्पर्क हेतु नं0 9301915303 है। इस संघ के गठन पर संघ के संरक्षक एवं लीगल एडवाईज़र श्री तथागत श्रीवास्तव (अधिवक्ता, माननीय उच्च-न्यायालय), एवं गवर्निंग बोर्ड के सदस्यों कु0 सी.बी.वर्मा, श्रीमती ऐकता श्रीवास्तव, श्रीमती रजनी शकुन्तले एवं अन्य ने शासन को धन्यवाद ज्ञापित किया, और कहा कि संघ के पास सामाजिक न्याय अथवा मानवाधिकार हनन सम्बंधी तथ्य के प्रस्तुत होने पर, उसे लिखित में शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन एवं सक्षम व्यक्तियों के समक्ष संघ की ओर से प्रस्तुत किया जावेगा। साथ ही, विधि, न्याय सम्बंधी कार्य हाथ में लेकर बेसहारा, गरीब, परित्यक्ता, विधवाओं के उत्थान के लिए कार्य किया जावेगा।

उद्देश्य एवं नियुक्तियां
मुख्य रूप से संघ का उद्देश्य छत्तीसगढ़ प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर में सामाजिक न्याय हेतु प्रचार-प्रसार करना, तथा मानवाधिकार हेतु जागरूकता पैदा करना है। संघ साक्षरता एवं अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से मानवाधिकार के सम्बंध में प्रचार प्रसार करना चाहता है। इस हेतु प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर पर सामाजिक न्याय एवं मानवाधिकार संरक्षण केन्द्र की स्थापना की जावेगी, और उनमें संघ के द्वारा आधिकारिक नियुक्तियाँ की जावेंगी। प्रत्येक व्यक्ति इस संघ में सदस्य बन सकता है, जिसके लिए संघ के द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तों का पालन किया जाना अनिवार्य है। इस हेतु सदस्यता फार्म संघ के प्रधान कार्यालय में उपलब्ध है।

मुख्य बिन्दु
प्रताड़ित एवं पीड़ित व्यक्ति की समस्याओं को सुनना, आवेदन लेना तथा पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए उचित साधन एवं संसाधनों की जरूरत के अनुसार व्यवस्था करना मूल रूप से इस संघ का कार्य है। पीड़ित व्यक्तियों को न्यायिक, गैर-न्यायिक एवं सामाजिक समस्या पर विधिनुसार एवं संविधान के अनुसार आवश्यक मदद की जावेगी।

पीड़ित संपर्क करें
संघ विशेष रूप से मानवाधिकार दिलाने एवं सामाजिक न्याय प्राप्ति हेतु पीड़ित मानव की हर संभव मदद करेगा तथा इस हेतु पीड़ित मानव के लिए भारतीय संविधान के तहत् विधिक सहायता की व्यवस्था आवश्यकतानुसार करेगा। यदि कोई पीड़ित है तो इस संघ से सम्पर्क कर सकता है।

अन्य बिन्दु
- संघ पर्यावरण संरक्षण एवं पर्यावरण सम्बंधी चेतना हेतु भी जागरूकता लाने का प्रयास करेगा।
- पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में महिलाओं के अधिकार, श्रमिकों के अधिकार, आदिवासियों के अधिकार, अनुसूचित जाति-जनजातियों के अधिकारों के सम्बंध में विधिक एवं संवैधानिक तौर के कार्यक्रमों को इस संघ द्वारा संचालित किया जावेगा तथा प्रत्येक पीड़ित को उसके कर्तव्यों एवं अधिकारों के बारे में सचेत किया जावेगा। न्याय प्राप्ति हेतु हर संभव मदद की जावेगी।
- संघ शासन से मान्यता प्राप्त है, अतः शासन एवं प्रशासन में विभिन्न पदों पर आसीन् तक पीड़ित की परेशानी को आसानी से पहुँचाया जा सकता है। इस हेतु संघ शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन व्यक्तियों से मुलाकात कर पीड़ित को न्याय दिलाने में समस्त सहायता भी करेगा।
- संघ द्वारा संवैधानिक शिक्षा एवं सामाजिक विकास से सम्बंधित रिसर्च कार्यक्रम किए जावेंगे, एवं समान उद्देश्यों वाली अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर काम किया जावेगा।
- संघ सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए कार्यशाला का आयोजन भी करेगा। संघ देश के भूले बिसरे पर महान विभूतियों के सम्मान में कार्यक्रम भी आयोजित कराएगा।

पढ़िए .... न्यायसाक्षी समाचार-पत्र
:: Address ::
Behind Stadium
Near Career
School, Raigarh,
C.G.
Pin 496001

www.nyaysakshi.com

सभी से अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में संघ से जुड़कर साथ का साथ दिया जावे ताकि प्रत्येक पीड़ित मानव को न्याय मिल सके एवं एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके।
Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU

बुजुर्ग और दिव्यांग के लिए डाक मत पत्र से मतदान की तिथि है 6, 7 और 8 नवंबर

❒ जिले में 80 वर्ष व उससे अधिक आयु के वृद्धजन तथा 40 प्रतिशत या इससे अधिक दिव्यांगता वाले मतदाता घर में करेंगे मतदान

❒ सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक किया जाएगा मतदान

सारंगढ़ बिलाईगढ़। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा निर्वाचन 2023 अंतर्गत समाज का कोई भी वर्ग मतदान में अपनी भागीदारी से ना छूटे, इसके लिए घर-घर जाकर मतदान का विकल्प दिया गया है। इसके अंतर्गत 80 वर्ष एवं इससे अधिक आयु के वृद्धजन तथा 40 प्रतिशत या इससे अधिक दिव्यांगता वाले मतदाताओं को मतदान करने हेतु डाक मत पत्र की वैकल्पिक सुविधा प्रदान की गई है। अब इन वर्गों के ऐसे व्यक्ति जो मतदान दिवस को मतदान केन्द्र में पहुंचकर वोट डालने में अपने को असमर्थ पाते हैं, वे फॉर्म 12 घ भरकर डाक मतपत्र के विकल्प का चयन कर सकते हैं। डाक मतपत्र के विकल्प का चयन करने वाले मतदाता मतदान दिवस को मतदान केन्द्र में अपना वोट नहीं डाल पाएंगे। जिले में 80 वर्ष एवं इससे अधिक आयु के वृद्धजन तथा 40 प्रतिशत या इससे अधिक दिव्यांगता वाले मतदाता घर में वोटिंग करेंगे। आयोग के निर्देशानुसार पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी।

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. फरिहा आलम सिद्दीकी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग ने 80 वर्ष एवं इससे अधिक आयु के वृद्धजन तथा 40 प्रतिशत या इससे अधिक दिव्यांगता वाले मतदाताओं को प्रोत्साहित करने होम वोटिंग की सुविधा प्रदान की है। जिला निर्वाचन कार्यालय सारंगढ़ बिलाईगढ़ निष्पक्ष निर्वाचन के लिए प्रतिबद्धतापूर्वक कार्य कर रही है। मतदान दल द्वारा ऐसे मतदाताओं के घर जाकर पूरी गोपनीयता के साथ डाक मतपत्र के माध्यम से उनका मतदान कराया जाएगा।

विशेष गठित मतदान दल द्वारा मतदाता को उनके घर में मतदान कराने की तिथि 6, 7 और 8 नवंबर 2023 को सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक निर्धारित किया गया है। ऐसे विकल्प भरे हुए मतदाता इन तारीखों में अपने घर में मतदान हेतु उपस्थित रहे। मतदाता अपने मतदान केन्द्र के बूथ लेवल अधिकारी से पूछकर पूरी प्रक्रिया को समझ सकते हैं।